

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत..... 30/12/25 मुकाम..... अलाहाबाद
 21/12/25 बनाम..... अ.द.दा.न. दुर्गा
 किस्म मुकदमा..... L.R.Act-136 नं. 124 सन् 2025.....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो किस हुकम की तामील में जारी हुए
13/10/25 17/10/25	<p>राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। जांच रिपोर्ट सरिस्ता अवलोकन की गई। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना-पत्र पर बहस कर प्रार्थना-पत्र स्वीकार जाने का निवेदन किया गया। बहस प्रार्थना-पत्र सुनी गई। पत्रावली आदेश वास्ते दिनांक 17/10/25 को पेश हो।</p> <p>पत्रावली आदेश वास्ते पेश हुई। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा की ओर से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी द्वारा ग्राम रामराजपुरा के खाता संख्या 342 पर स्वतः स्वीकृत नामा0 सं0 1193 दिनांक 21.12.2023 बेचान द्वारा क्रेता का नाम सद्दाम हुसैन पुत्र सलीम मोहम्मद, अली मोहम्मद पुत्र सलीम मोहम्मद जाति मुसलमान दर्ज हुआ। जबकि सद्दाम हुसैन पुत्र सलीम मोहम्मद हिस्सा 5/131, अली मोहम्मद पुत्र सलीम मोहम्मद हिस्सा 5/131 की एक प्रविष्टि पूर्व में भी दर्ज थी। उक्त नामान्तरण द्वारा सद्दाम हुसैन पुत्र सलीम मोहम्मद, अली मोहम्मद पुत्र सलीम मोहम्मद की 2 बार प्रविष्टि दर्ज हुई। जिसे दुरुस्त करवाने हेतु अप्रार्थी द्वारा आवेदन किया है। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र पंजीयन क्रमांक 20233123122727 दिनांक 21.12.2023 से क्रेता की 2 बार एन्ट्री हो गई है। जिससे खाता अपवादित हो गया है। तथा अन्य कार्य सीमित हो गया है। उक्त खाते में लटूरलाल पुत्र गोपाल की भी दो बार प्रविष्टि दर्ज है। जिसे भी दुरुस्त किया जाना है। उक्त प्रविष्टियों को दुरुस्त करने के आदेश करने की क्षेत्राधिकारिता श्रीमान न्यायालय को है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर उक्त शुद्धि की जावे।</p> <p>पत्रावली एवं संलग्न दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र में कथन किया है कि ग्राम रामराजपुरा के खाता संख्या 342 पर स्वतः स्वीकृत नामा0 सं0 1193 दिनांक 21.12.2023 बेचान द्वारा क्रेता का नाम सद्दाम हुसैन पुत्र सलीम मोहम्मद, अली मोहम्मद पुत्र सलीम मोहम्मद की 2 बार प्रविष्टि दर्ज हुई। उक्त खाते में लटूरलाल पुत्र गोपाल की भी दो बार प्रविष्टि दर्ज है। जिसे भी दुरुस्त किया जाना है। उक्त त्रुटी स्वतः स्वीकृत नामा0 के कारण सहवन से हुई है। जिसकी शुद्धि किया गया उचित है। प्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम स्वीकार कर ग्राम रामराजपुरा के खाता संख्या 342 में सद्दाम हुसैन पुत्र सलीम मोहम्मद, अली मोहम्मद पुत्र सलीम मोहम्मद एवं लटूरलाल पुत्र गोपाल की डबल एन्ट्री को एक दर्ज करने के आदेश दिए जाते हैं। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार लाडपुरा को प्रेषित की जावे।</p> <p>उक्त निर्णय आज दिनांक 17/10/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p>	



गजेन्द्र सिंह
 उपखण्ड-अधिकारी
 कोर्ट